



Phone & Fax- 05964-232124

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० डीडिहाट (पिथौरागढ़)

Office of the Executive Engineer, PD, PWD Didihat (Pithoragarh)

E-Mail- eepwdddt@rediffmail.com & eepdddht.pwduk@gov.in



पत्रांक

203 / 35

दिनांक 29/1/22

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़।

विषय :-

जनपद पिथौरागढ़ के राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण 3.02 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून का पत्रांक 1071/FP/UK/ROAD/46681/2020 दिनांक 26.10.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा विषयक वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के EDS दिनांक 30.07.2021 द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के बिन्दु संख्या 07 का आनलाईन Part-II में संशोधन न होना तथा बिन्दु सं० 8 का ऑफलाईन व ऑनलाईन संशोधन न होना अवगत कराया गया है, जिसके क्रम में बिन्दु सं० 7 Part-II के ऑनलाईन संशोधन हेतु आपत्ति का निराकरण संलग्न-01 में तथा बिन्दु सं० 8 ऑफलाईन एवं ऑनलाईन संशोधन हेतु संलग्न-02 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(इ० जगदीश प्रसाद)

प्र० अधिशासी अभियन्ता

प्रा०ख०, लो०नि०वि० डीडिहाट

0 से 10 व्यास वर्ग के प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

परियोजना का नाम:- तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 6.250 किमी0)

दिनांक 18/08/2021 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री रमेश राम एवं मोहन सिंह राठौर वन बीट अधिकारी एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से इं0 महिमा ह्यांकी, कनिष्ठ अभियन्ता, डीडीहाट एवं श्री हरीश सिंह, अमीन द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि में 0 से 10 व्यास वर्ग के 19 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित भूमि पर प्रभावित होने वाले 0 से 10 व्यास वर्ग के वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यासवार विवरण।

क्र सं	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक/ कम्पार्टमेन्ट /खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	0-10 व्यास वर्ग
1.	आरक्षित भूमि	—	—	—	—
2.	बेनाप भूमि	—	—	—	—
3.	सिविल भूमि	सानदेव	चीड़	Pinus roxburghu Sarg	5
			उत्तीस	Alnusnepalensis D.Don	3
			काफल	Myrica esculenta Buch	5
			कटोज	Cagapapsiteunlofdes soach	6
4.	वन पंचायत भूमि	—	—	—	—
	योग :- वन भूमि	—	—	—	19
5.	नाप भूमि	—	—	—	—
	कुल योग				19

(महेश कुमार)
वन विभाग
डीडीहाट

(महेश कुमार)
वन विभाग
डीडीहाट

(महेश सिंह)

(महेश सिंह)
वन विभाग
डीडीहाट

(महेश सिंह)
वन विभाग
डीडीहाट

(महेश सिंह)

(महेश सिंह)
वन विभाग
डीडीहाट

प्रारूप

परियोजना का नाम -	तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 6.250 किमी०)
परियोजना का क्षेत्रफल-	3.020 हे०
प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पता -	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० डीडीहाट।
वन प्रभाग का नाम व पता -	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि ग्राम तिलाड़ी बंजर काबिल आबाद भूमि, क्षेत्रफल 6.040 हे० का प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा दिनांक 11/09/21 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण का घनत्व 0.40 से कम है, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है, क्षेत्र झाड़ीनुमा व रिक्त है एवं क्षेत्र में 1000 पौधे प्रति हे० रोपित हो सकते हैं। अतः क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

(महेश्वर झा) 11/09/21
क्षेत्र अधिकारी
लो०नि०वि०
डीडीहाट

(सिंहकान्त आनन्द) 11/09/21
क्षेत्र अधिकारी
श. स. लो. नि. वि.
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

(महेश्वर झा) 11/09/21
(महेश्वर झा)
(महेश्वर झा)

(जगदीश चन्द) 11/09/21
क्षेत्र अधिकारी
लो०नि०वि०
डीडीहाट

(प्रसन्न सिंह देउड़ा) 11/09/21
क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट

(श्री विमल आर्य) 11/09/21
प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़
दिनांक 11/09/21

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति
 - (i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र - तिलाड़ी से सेरा मोटर मार्ग (लम्बाई 6.00 किमी०)
 - (ii) जिला - उत्तराखण्ड/राज्य सरकार।
 - (iii) जिला वन प्रभाग - पिथौरागढ़।
 - (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र - पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़। 3.020 हेक्टेयर।
8. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति -
9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:
 - (i) वन का प्रकार - राज्य भूमि।
 - (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व - 0-40 से कम।
 - (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना - संलग्न है।
 - (iii) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा -
10. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी - भूक्षरण की संभावना नहीं है।
11. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी - 1 Km.
12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता:
 - (i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा: - संलग्न है।
 - (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - नहीं।
 - (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - नहीं।
 - (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि. मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - नहीं।
 - (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे - नहीं।
13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) - नहीं।
14. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें
 - (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। - हाँ। उपाबद्ध व न्यूनतम है।
 - (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है। -
15. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे: - ग.दी

- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के - नहीं।
अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)
- (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, -
अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और
पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए
उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई
कार्यवाही - नहीं
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) - नहीं
16. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे : - संलग्न है।
- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की
विधिक प्रारिथिति। - संलग्न है।
- (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और
क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या
अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। - संलग्न है।
- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर
वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में
स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। - संलग्न है।
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय
सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे
संलग्न हैं (हां/नहीं)। - हों।
- (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : - संलग्न है।
- (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से
पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन
संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। - हों।
17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से
सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की
स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। - हों।
18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन - संलग्न है।
संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

स्थान: डीडिहाट।

तारीख: 14-2-2020

सहित आशुसारित प्रस्तावक
राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा
आपत्ति/शर्तों का अनुपालन विभागाधीन
हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

राज्य वन अधिकारी
विभाग वन प्रशासन